Extension of timelines (PARs- 2024-25)

संख्या- 4/2025/ए0पी0ए0आर0/972270/2025-02-5099/43/2025

प्रेषक,

विजय कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव/विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उ0प्र0।
5- आई0ए0एस0 संवर्ग के शेष समस्त अधिकारी (नाम से)

नियुक्ति अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 24.05.2025

विषयः- आई0ए0एस0 अधिकारियों की वर्ष 2024-2025 की APAR (वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) पूर्ण किये जाने हेतु समय-सीमा बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली के पत्र F.No.11059/04/2025-AIS-III दिनांक 16.05.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अगवत कराया गया है कि कतिपय कठिनाईयों (due to prevailing situation of terrorism) के कारण अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों द्वारा Submitting self appraisal/ recording of PAR for year 2024-2025 पूर्ण किये जाने हेतु की जा रही कठिनाईयों का संज्ञान लेते हुए **01 माह** का समय बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया गया है।

2- अतः इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 16.05.2025 **की प्रति संलग्न** कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के उपरोक्त निर्देशों का संज्ञान लेते हुए कृपया वर्ष 2024-2025 की APAR पर निम्नानुसार निर्धारित समय-सीमा (संशोधित) के अन्तर्गत अपना मन्तव्य अंकित कर APAR समयबद्ध रूप से पूर्ण/अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें:-

Activity	Cut off dates	
	Existing	**Revised**
Self appraisal for current year	31st May, 2025	**30th June, 2025**
Appraisal by Reporting Authority	31st July, 2025	**31st August, 2025**
Appraisal by Reviewing Authority	30th September, 2025	**31st October, 2025**
Appraisal by Accepting Authority	31st December, 2025	**31st December, 2025**

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(विजय कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या व दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि-

1. अवर सचिव, कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को उनके पत्र **F.No.11059/04/2025-AIS-III** दिनांक 16.05.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक स0अ0/स0अधि0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त को शासनादेश को आन-लाइन भी अपलोड कराना कृपया सुनिश्चित करें।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Extension of timelines (PARs- 2024-25)

प्रेषक,

विजय कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ। 2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव/विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन। 4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5- आई0ए0एस0 संवर्ग के शेष समस्त अधिकारी (नाम से)

नियुक्ति अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 24-05-2025

विषयः- आई0ए0एस0 अधिकारियों की वर्ष 2024-2025 की APAR (वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) पूर्ण किये जाने हेतु **समय-सीमा बढ़ाये जाने** के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग , कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय , भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली के पत्र F.No.11059/04/2025-AIS-III दिनांक 16.05.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अगवत कराया गया है कि कतिपय कठिनाईयों (due to prevailing situation of terrorism) के कारण अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों द्वारा Submitting self appraisal/ recording of PAR for year 2024-2025 पूर्ण किये जाने हेतु की जा रही कठिनाईयों का संज्ञान लेते हुए **01 माह का समय बढ़ाये जाने का निर्णय** लिया गया गया है।

2 - अतः इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय , भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 16.05.2025 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के उपरोक्त निर्देशों का संज्ञान लेते हुए कृपया वर्ष 2024-2025 की APAR पर निम्नानुसार निर्धारित समय-सीमा (संशोधित) के अन्तर्गत अपना मन्तव्य अंकित कर APAR समयबद्ध रूप से पूर्ण/अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें:-

Activity	Cut off dates	
	Existing	**Revised**
Self appraisal for current year	31st May, 2025	**30th June, 2025**
Appraisal by Reporting Authority	31st July, 2025	**31st August, 2025**
Appraisal by Reviewing Authority	30th September, 2025	**31st October, 2025**
Appraisal by Accepting Authority	31st December, 2025	**31st December, 2025**

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,
Digitally Signed by VIJAY KUMAR
Date: 24-05-2025 13:18:53
(विजय कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि-

1. अवर सचिव, कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत

सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को उनके पत्र F.No.11059/04/2025-AIS-III दिनांक 16.05.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

2. सहायक स0अ0/स0अधि0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त को शासनादेश को आन-लाइन भी अपलोड कराना कृपया सुनिश्चित करें।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विजय कुमार)
विशेष सचिव।

NO...12662...AMS/GI...

F. No.11059/04/2025-AIS-III
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel & Training
****

North Block, New Delhi
Dated: 16th May, 2025

To.

The Chief Secretaries of States / UTs

Subject:- Extension of timelines for recording of PARs for the year 2024-25 in respect of AIS (IAS/IPS/IFS) officers by the Reporting / Reviewing / Accepting Authorities only - reg.

Sir / Madam,

I am directed to refer to the relevant provisions for recording of PAR under AIS (PAR) Rules, 2007 as amended from time to time. In this regard, reference is invited to the difficulties, due to prevailing situation of terrorism in our country, being faced by the AIS officers in submitting self-appraisal/ recording of PAR for year 2024-25.

2. Accordingly, the matter has been duly considered in this Department and it has been decided with the approval of the Competent Authority to extend the existing timelines for recording PAR for the year 2024-25 by 01 month, in relaxation of Rule 5(1) read with Schedule 2 of AIS (PAR) Rules and 7A so as to give sufficient time to each authority, as indicated below: -

Activity	Cut off dates	
	Existing	Revised
Self Appraisal for current year	31st May, 2025	30th June, 2025
Appraisal by Reporting Authority	31st July, 2025	31st August, 2025
Appraisal by Reviewing Authority	30th September, 2025	31st October, 2025
Appraisal by Accepting Authority	31st December, 2025	31st December, 2025

1714/NSA/25
JS(AKD)

(विजय कुमार) 2025
नियुक्ति अधिकारी
उत्तर प्रदेश शासन।

3. Notwithstanding anything contained herein, no remarks may be recorded after 31st December, 2025 in the PAR of AIS officers for the PAR year 2024-25, in accordance with the 2nd proviso of Rule 5(1) of AIS (PAR) Rules, 2007, as amended.

4. The aforesaid relaxation is accorded as a onetime measure only.

PS(Appointment)

2156/PSA/2025
VS(V)

(Kavita Chauhan)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 011-23093479

16/5/25
(अमृता जोशी)
प्रमुख स्टाफ अधिकारी
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन

20-05-2025
(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

20/5/25

20.5.2025

21/5/25

Extension of timelines for recording of PARs for 2024-25 i.r.o AIS officers

Rishabh Srivastava < rishabh.92@gov.in >

Fri, 16 May 2025 5:28:50 PM +0530

To "IAS"<cs@ap.gov.in>,"IAS"<cs-assam@nic.in>,"Chief Secretary Bihar"<cs-bihar@nic.in>,"chiefsecretary"<chiefsecretary@gujarat.gov.in>,"csguj"<csguj@gujarat.gov.in>,"IAS"<cs@hry.nic.in>,"cs"<cs@karnataka.gov.in>,"Iqbal Singh Bains"<cs@mp.nic.in>,"cs"<cs@maharashtra.gov.in>,"cso-meg"<Cso-meg@nic.in>,"Chief Secretary Nagaland"<csngl@nic.in>,"Shri Pradeep Kumar Jena"<csori@nic.in>,"Chief Secretary Punjab"<cs@punjab.gov.in>,"cs"<cs@tn.gov.in>,"CS Telangana"<cs@telangana.gov.in>,"cs-tripura"<cs-tripura@nic.in>,"CHIEF SECRETARY GoUP"<csup@nic.in>,"chief secretary"<cs-uttaranchal@nic.in>,"Shri H K Dwivedi"<cs-westbengal@nic.in>,"Prabodh Saxena"<cs-hp@nic.in>,"Shri Sukhdev Singh"<cs-jharkhand@nic.in>,"Dr.V.P.Joy IAS"<chiefsecy@kerala.gov.in>,"cs-manipur"<cs-manipur@nic.in>,"cs-mizoram"<cs-mizoram@nic.in>,"csraj"<csraj@rajasthan.gov.in>,"Vijay Bhushan Pathak"<cs-skm@hub.nic.in>,"ASHUTOSH AGNIHOTRI"<jsuts-mha@mha.gov.in>,"csofficecg"<csoffice.cg@gov.in>,"Ajay Bhalla"<hshso@nic.in>,"Ms Nandan"<secy-moef@nic.in>

Cc "Kavita Chauhan"<kavitachauhan.edu@nic.in>,"Anil Bajpai"<anil.bajpai@nic.in>,"Giridhar Kumar"<giridhar.k13@nic.in>,"Prashant Prashant"<prashant.dopt14@nic.in>,"Arun Meena"<arun.meena@nic.in>

Sir / Madam,

Please find attached DoP&T's letter dated 16.05.2025 regarding extension of timelines for recording of PAR for the year 2024-25 in respect of AIS officers for information.

Thanks & Regards,

( )

Rishabh Srivastava,

SO, AIS-III, DoP&T,

North Block, New Delhi - 110001

1 Attachment(s)

DoPT letter dt 16.05.2025 - ext...

416.9 KB

Copy for information and necessary action to :-

(1) All Ministries /Departments of Government of India.

(2) Ministry of Home Affairs, being Cadre Controlling Authority for IPS, North Block, New Delhi.

(3) Ministry of Environment, Forest & Climate Change, being Cadre Controlling Authority for IFoS, Lodhi Road, Jor Bagh, New Delhi

(4) The Under Secretary, EO(PR) Section, DOPT - for information and necessary action

(5) NIC, DOPT - for uploading on DOPT's website